


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 209/2025

उनवानी :- महेन्द्र व अन्य बनाम अशरफी व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
19.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित आये। वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई एवं प्रकरण को NOT PRESS में खारिज कराने के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वादीगण अधिवक्ता अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 209/2025 उनवानी महेन्द्र व अन्य बनाम अशरफी व अन्य दावा स्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>